रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2004/माघ 21, 1925
No. 69] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2004/MAGHA 21, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2004

सा.का.नि. 111(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 614(अ), तारीख 30 जुलाई, 2003 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) , तारीख 30 जुलाई, 2003 में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे ;

और भारत के उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 1 अगस्त, 2003 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 27, 41, 50 और 110 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2004 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये भारत के राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के पश्चात् प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (घ) के स्थान पर राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(घ) . "वित्त पोषक" से ऐसा व्यक्ति या हक धारक सह व्यौहारी अभिप्रेत है जो किसी मोटर यान को रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में आपरेटर के नाम में उसे रजिस्ट्रीकृत कराने की अनुज्ञा के साथ आपरेटर को अवक्रय या पट्टे या आडमान करार के अधीन भाड़े पर देता है ';

3. उक्त नियमों के नियम 50 के उपनियम (5) में, "30 डिग्री से अधिक" शब्दों और अंकों के स्थान पर "45 डिग्री से अधिक" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 57 के उपनियम (2) में राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नाम में मोटर यान, संबद्ध यान की नीलामी या व्ययन की कार्यवाही सत्यापित किए बिना संबद्ध रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अंतरित नहीं किया जाएगा । "।

5. उक्त नियमों के नियम 93 में, उपनियम (7) के पश्चात् पहले परंतुक का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियमों के नियम 93 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"93क. कृषि ट्रैक्टरों के लिए संपूर्ण विमा --

(1) कृषि ट्रैक्टर की संपूर्ण चौड़ाई 2.6 मीटर से अधिक नहीं होगी ।

(2) कृषि ट्रेक्टर की संपूर्ण लंबाई 6.5 मीटर से अधिक नहीं होगी ।

IndiaCode

(3) कृषि ट्रेक्टर की संपूर्ण ऊँचाई 3.8 मीटर से अधिक नहीं होगी ।

(4) कृषि ट्रेक्टर का प्रलम्बन 1.85 मीटर से अधिक नहीं होगा ।

परंतु यह है कि पिछले पहिये की केन्द्रीय रेखा के परे 700 मी.मी. तक पार्श्व प्रक्षेपण अनुज्ञात किया जाएगा ।" ।

7. उक्त नियमों के नियम 94 में,-

(क) उपनियम (1) में "प्रत्येक मोटर यान" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक मोटर यान जिसके अंतर्गत कृषि ट्रेक्टर और उसका ट्रेलर भी है" शब्द रखे जाएंगे

(ख) उपनियम (2) में "किसी मोटर यान" शब्दों के स्थान पर "किसी मोटर यान जिसके अंतर्गत कृषि ट्रेक्टर और उसका ट्रेलर भी है" शब्द रखे जाएंगे

(ग) उपनियम (3) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि खंड (iv) में विनिर्दिष्ट नॉन-स्किड गहराई (एनएसडी) और ट्रीड वियर इंडिकेटर (टीडब्ल्यूआई) की अपेक्षाएं कृषि ट्रेक्टर टायरों के लिए लागू नहीं होंगी ।" ।

8. उक्त नियमों के नियम 95 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:-

"95क.कृषि ट्रैक्टर के लिए टायरों का आकार और प्लाई रेटिंग --(1) कृषि ट्रैक्टर के टायर की भार वहन क्षमता वह होगी जो, इस शर्त के अध्यधीन कि कृषि ट्रैक्टर विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम भार, टायर विनिर्माता द्वारा अनुज्ञात भार से अधिक नहीं होगा, टायर विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी ।

(2) कृषि ट्रैक्टर विनिर्माता केवल उस रिम आकार का चयन करेगा जिसकी टायर विनिर्माता द्वारा सिफारिश की गई हो।

टिप्पणः ऊपर्युक्त दोनों उपनियमों के अनुपालन के लिए समय-समय पर यथा संशोधित भा.मा.:13154-1991- कृषि ट्रैक्टर, उपकरण और पॉवर टिलर के लिए टायर निर्दिष्ट किया जाएगा । यदि टायरों का कोई विशिष्ट आकार भा.मा.: 13154-1991-में सूचीबद्ध नहीं है तो

यूरोप का आर्थिक आयोग (ईसीई), जापान आटोमोटिव टायर विनिर्माता संगम (जेएटीएमए), यूरोपियन टायर और रिम तकनीकी संगठन (ईटीआरओ), टायर और रिम संगम इंक (टी एंड आरए) और भारतीय टायर तकनीकी सलाहकार समिति (आईटीटीएसी) आदि, जैसे कोई समतुल्य अंतरराष्ट्रीय मानक स्वीकार किए जाएंगे"।

9. उक्त नियमों के नियम 96 में उपनियम (4) के खंड (iv) का लोप किया जाएगा ।

10.. उक्त नियमों के नियम 96ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा,अर्थात् :-

"**96 ग. कृषि ट्रैक्टर के लिए ब्रेक** -- कृषि ट्रैक्टर की ब्रेक प्रणाली समय-समय पर यथा संशोधित भा.मा.: 12061-1994 और भा.मा.: 12207-1999 के अनुरूप होगी ।"।

11. उक्त नियमों के नियम 98 में,-

(क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) प्रत्येक मोटर यान का स्टीयरिंग इस प्रकार निर्मित होगा ताकि वह समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक भा.मा. : 12222-1987 के अनुरूप हो ।";

(ख) उपनियम (3) में "अशक्त यात्री गाड़ियों और कृषि ट्रेक्टरों" शब्दों के स्थान पर "और असक्त यात्री गाड़ियों" शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (5) पावर स्टियरिंग ,--

(क) 1 मई, 2004 से ही प्रवर्ग एन 3 बहुधुरी यानों में ; और

(ख) 1 दिसंबर, 2004 से ही प्रवर्ग एन 3 के बहुधुरी यानों से भिन्न यानों में,

लगे होंगे ।"।

12. उक्त नियमों के नियम 98 क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**98 ख. कृषि ट्रेक्टरों के लिए स्टीयरिंग गियर** :- (1) कृषि ट्रेक्टरों का स्टीयरिंग गीयर अच्छी और ठीक हालत में रखा जाएगा । वह स्टीयरिंग व्हील पर 30 डिग्री से अधिक

पश्चगमन नहीं करेगा । स्टीयरिंग बंधता जोड़ने वाले सभी बॉल संयोजनों की रबड़ कैप लगाकर सुरक्षा की जाएगी और जहां जोड़ों पर बोल्ट या पिन लगे हों, वहां बोल्टों और पिनों को प्रभावी ढंग से लॉक किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक कृषि ट्रेक्टर का टर्निंग सर्कल डायमीटर और टर्निंग सर्कल क्लीयरेंस डायमीटर समय-समय पर यथा संशोधित भा.मा.: 11859-1986 के अनुरूप होगा ।

(3) कृषि ट्रेक्टर की स्टीयरिंग प्रयास अपेक्षा उस समय तक जब तक कि तत्स्थानी बी.आई.एस. मानक अधिसूचित नहीं किया जाता, समय-समय पर यथा संशोधित आटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस): 042 के अनुरूप होगी । "

13. उक्त नियमों के नियम 99 में " सन्निर्माण उपस्कर यान" शब्दों के स्थान पर " सन्निर्माण उपस्कर यान और कृषि ट्रेक्टर" शब्द रख जाएंगे ।

14. उक्त नियमों के नियम 104क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" 104ख कृषि ट्रेक्टरों के लिए परावर्तकों का फिटमेंट

(1) प्रत्येक कृषि ट्रेक्टर में पिछले दोनों पार्श्वों पर प्रत्येक पर एक कम से कम 28.5 वर्ग सेंटीमीटर के दो गैर त्रिकोण लाल परावर्तक परावर्ती क्षेत्र लगे होंगे ।

(2) इस नियम के उपनियम (1) में निर्दिष्ट परावर्तक समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक भा.मा.:8339-1993 के अनुरूप परावर्ती टाइप के होंगे । " ।

15. उक्त नियमों के नियम 105 में,-

(क) उपनियम 3 में, दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

(ख) उपनियम (4) में परंतुक का लोप किया जाएगा ।

16.. उक्त नियमों के नियम 106 के उपनियम (1) के खंड (क) के परंतुक का लोप किया जाएगा ।

17. उक्त नियमों के नियम 109 में दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

18. उक्त नियमों के नियम 112 के चौथे परंतुक में " परंतु यह और कि ट्रेक्टर की दशा में

IndiaCode

457 GI/04-2

उर्द्धवाकार" शब्दों के स्थान पर " परंतु यह और कि कृषि ट्रेक्टर की दशा में उर्द्धवाधर या क्षैतिज" शब्द रखे जाएंगे ।

19. उक्त नियमों के नियम 115 में,--

(क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) 1 अक्तूबर, 2004 को और उसके पश्चात्

(i) पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी पर परिचालित होने वाला प्रत्येक मोटर यान नीचे सारणी में दिए गए कार्बन मोनोक्साइड (सी.ओ.) और हाइड्रो कार्बन (एच.सी.) के लिए निष्कार्य उत्सर्जन मानकों का पालन करेगा :-

पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी परिचालित यान

क्र.सं.	यान का प्रकार	सी.ओ. %	*एचसी (एन-हेक्सेन समतुल्य) पीपीएम
1	दो और तीन- पहिए (2/4 स्ट्रोक) (31 मार्च, 2000 को और उसके पूर्व विनिर्मित यान)	4.5	9000
2.	दो और तीन- पहिए (2- स्ट्रोक) (31 मार्च, 2000 के पश्चात् विनिर्मित यान)	3.5	6000
3.	दो और तीन- पहिए (4- स्ट्रोक) (31 मार्च, 2000 के पश्चात् विनिर्मित यान)	3.5	4500
4	भारत स्टेज- II कंप्लायंट 4 पहिए	0.5	750
5	भारत स्टेज- II कंप्लायंट से भिन्न 4-पहिए	3.0	1500

टिप्पणः परीक्षण सामान्य यातायात दशा के अधीन विभिन्न अनुक्रम पर न्यूनतम 15 मिनट के चालन के पश्चात् यान इंजन को गर्म करके केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (सीएमवीआर) के

नियम 116(3) के अनुसार अनुमोदित टाइप के उपकरण का उपयोग करते हुए किया जाएगा। परीक्षण के दौरान यान इंजन निष्कार्य गति पर चालित रहेगा और अन्वेषी शलाका यान रेचक तंत्र में कम से कम 300 एम.एम. की गहराई तक अंतःस्थापित किया जाएगा । यदि परीक्षण के दौरान अभिलिखित सी.ओ.और/या एच.सी उत्सर्जन मान परिसीमा के भीतर नहीं है तो परीक्षण बंद कर दिया जाएगा और यान स्वामी को मरम्मत/सर्विस के पश्चात् यान को पुनः भेजने की सलाह दी जाएगी ।

*यानों के लिए जब वे संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.)पर परिचालित हों निष्कार्य उत्सर्जन मानकों में हाइड्रो कार्बन (एचसी) के स्थान पर गैर मिथेन हाइड्रो कार्बन (एनएमएचसी) होगा और निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राक्कलित की जाएगी :

एनएमएचसी = 0.3 X एचसी

जहां एचसी= एन-हेक्सेन समतुल्य के रूप में मापित कुल हाइड्रो कार्बन

इसी प्रकार यानों के लिए जब वे द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) पर परिचालित हों निष्कार्य उत्सर्जन मानकों में हाइड्रो कार्बन (एचसी) के स्थान पर रिएक्टिव हाइड्रो कार्बन (आरएचसी) होगी और निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राक्कलित की जाएगी :

आरएचसी = 0.5 X एचसी

जहां एचसी= एन-हेक्सेन समतुल्य के रूप में मापित कुल हाइड्रो कार्बन

परंतु यह कि किसी विनिर्दिष्ट शहर या क्षेत्र में प्रचालित तीन-मार्गी बंद पाश उत्प्रेरकी परिवर्तक लगे पेट्रोल यानों की दशा में यथास्थिति संबंधित राज्य सरकार या संघराज्य क्षेत्र प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि परीक्षण अभिकरणों द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित मानों के मापन में सक्षम गैस विश्लेषक, यथास्थिति, ऐसे शहर या क्षेत्र में उपलब्ध है, उपयोग में लिए जा रहे यानों के लिए लाम्बडा (रेचक गैस में वायु/ईंधन के अनुपात के रूप में इंजन की ज्वलन क्षमता को प्रकट करते हुए विमाहीन मान)और अधिक कठोर उत्सर्जन मानकों का मापन ऐसी अवधिकता के साथ जो आवश्यक हो, की शुरुआत विनिर्दिष्ट कर सकेगा

परंतु यह और कि परीक्षण प्रक्रिया समय-समय पर यथा संशोधित टीएपी दस्तावेज सं. 115 और 116 में विहित हैं :

IndiaCode

परंतु यह भी कि ऊपर परंतुक में विहित परिसीमाओं की अनुपालना में 1 अक्तुबर, 2004 को या उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए यथा लागू प्ररूप 22 या प्ररूप 22क में यान विनिर्माता द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र भी सम्मिलित होगा ।" ।

(ii) सभी डीजल चालित यानों के लिए धूम्र घनत्व निम्नानुसार होगा :-

सारणी : डीजल यान

परीक्षण की विधि	अधिकतम धूम्र घनत्व	
	प्रकाश अवशोषण गुणांक (1/एम)	हार्टिज यूनिट
टर्बो प्रभारित इंजन और प्राकृतिक एस्पिरेटिड इंजन के लिए मुक्त त्वरण परीक्षण	2.45	65

मुक्त त्वरण परीक्षण न्यूनतम 60 डिग्री सें. के तेल तापमान प्राप्त करने तक गर्म किए गए यान इंजन के साथ केन्द्रीय मोटर यान नियम 116 (3) के अनुसार अनुमोदित टाइप के उपकरण का उपयोग करते हुए किया जाएगा । प्रत्येक मुक्त त्वरण के दौरान बिना भार अधिकतम पहुंची हुई गति 3- पहिए यान की बाबत औसत मान की +500 आरपीएम और सभी अन्य प्रवर्गों के यानों की बाबत औसत मान की + 300 आरपीएम की बैंड विड्थ के भीतर होगी । मुक्त त्वरण परीक्षण ऊपर अधिकतम बिना भार आरपीएम मानदंड को पूरा करने के लिए चार उत्तरवर्ती त्वरणों में अभिलिखित अधिकतम धूम्र घनत्व तक दोहराई जाएगी जो इन मानों के समान्तर मध्य(एम-1 यूनिट में) के 25 प्रतिशत के बैंड विड्थ के भीतर या 0.25 के बैंड विड्थ के भीतर जो भी अधिक होगा अवस्थित होगा और वे घटते हुए क्रम में न हो । अभिलिखित किया जाने वाला धूम घनत्व इन चार पठनों के समान्तर मध्य होगा । यदि विधिमान्य पठन 10 मुक्त त्वरण के भीतर अभिप्राप्त नहीं किए जाते हैं या अभिलिखित धूम्र घनत्व परिसीमाओं के भीतर नहीं हैं तो परीक्षण बंद कर दिया जाएगा और यान स्वामी को मरम्मत/सर्विस के पश्चात् यान को पुनः भेजने की सलाह दी जाएगी ;"

(ख) उपनियम (7) में "छह मास के लिए या ऐसी कम अवधि के लिए होगी जो राज्य सरकार

द्वारा समय-समय पर विहित की जाए" शब्दों के स्थान पर "छह मास के लिए होगी" शब्द रखे जाएंगे ।

20. उक्त नियमों के नियम 115 ख में,–

(क) " ऐसे यानों, जब वे संपीड़ित प्राकृतिक गैस" शब्दों के साथ प्रारंभ होने वाले और "संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मीथेन तत्व 70 प्रतिशत से कम नहीं होंगे" शब्दों और अंकों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"यानों के लिए जब वे संपीड़ित प्राकृतिक गैस (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् सी एन जी कहा गया है)पर चालित हों, द्रव्यमान उत्सर्जन मानक वही होंगे जो गैसोलीन यानों के लिए लागू हैं इस अपवाद के साथ कि हाइड्रोकार्बन के स्थान पर गैर–मीथेन हाइड्रोकार्बन (एनएमएचसी) प्रतिस्थापित करेंगे, जहां एनएमएचसी = 0.3X एचसी ।"

(ख) मद अ में खंड (III) का लोप किया जाएगा ।

(ग) मद आ में खंड (III)का लोप किया जाएगा ।

(घ)मद ऊ, में टिप्पण के अधीन, क्र.सं. 7 पर की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

" गैसोलीन से चलने वाले यानों या डीजल संपरीवर्तीत यानों पर संपरीवर्तन किट की दशा में परीक्षण अभिकरणों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की विधिमान्यता यान के विनिर्माण के वर्ष में विनिर्मित ऐसे सभी यानों को लागू होंगी जिनपर ऐसी किट का परीक्षण किया गया है और क्रमशः इंडिया 2000(भारत स्टेज-1) या भारत स्टेज-2 मानदंडों, जो भी लागू हो, की विधिमान्यता तक विस्तारित होगी । परीक्षण अभिकरणों से ऐसे मॉडल और उनके रूपांतरणों को, जिनके संबंध में प्रमाणपत्र विधिमान्य होगा, विशिष्ट रूप से उपदर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी । "

परंतु यह है कि उपरोक्त उपबंध राजपत्र में केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2004 के प्रकाशन की तारीख से एक मास के पश्चात् प्रवृत्त होंगे ।

21. उक्त नियमों के नियम 115 ग के उपनियम (1) के स्थान पर, " (1) यानों के लिए जब वे

एलपीजी", शब्दों और अंकों के साथ प्रारंभ होने वाले और "कुल मापा गया हाइड्रोकार्बन", शब्दों के

IndiaCode

साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(1) यानों के लिए जब वे द्रवित पेट्रोलियम गैस (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् एलपीजी कहा गया है) पर चालित हों, द्रव्यमान उत्सर्जन मानक वही होंगे जो गैसोलीन यानों के लिए लागू हैं इस अपवाद के साथ कि हाइड्रोकार्बन के स्थान पर रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन (आरएचसी), जहां आरएचसी = 0.5X एचसी ।"

22 उक्त नियमों के नियम 116 के उपनियम (2), (3), (4), (5), (6) और (8) में "नियम 115 के उपनियम (2)" शब्दों के स्थान पर "नियम 115 के उपनियम (2) और उपनियम (7)" शब्द रखे जाएंगे ।

23. उक्त नियमों के नियम 119 में,--

(क) उपनियम (1) में "जिसके अंतर्गत सन्निर्माण उपस्कर यान भी है" शब्दों के स्थान पर "जिसके अंतर्गत सन्निर्माण उपस्कर यान और कृषि ट्रेक्टर भी है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (1) के अधीन परंतुक में " एआईएस-014/2001" अक्षरों और अंकों के स्थान पर " एआईएस-014" अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

(ग) उपनियम (2) में "मोटर यान" शब्दों के स्थान पर "मोटर यान जिसके अंतर्गत कृषि ट्रेक्टर भी है" शब्द रखे जाएंगे ।

24. उक्त नियमों के नियम 120 में,--

(क) उपनियम (1) में "प्रत्येक मोटर यान" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक मोटर यान जिसके अंतर्गत कृषि ट्रेक्टर भी है" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) सारणी सहित उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) **ध्वनि मानक** - प्रत्येक मोटर यान ऐसा सन्निर्मित और अनुरक्षित किया जाएगा ताकि जब समय-समय पर यथा संशोधित भा.मा: 3028-1998 के अनुसार परीक्षित किया जाए तो पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1996 की अनुसूची 6 के भाग ङ में विनिर्दिष्ट ध्वनि मानकों के अनुरूप हो ।" ।

(ग) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) कृषि ट्रेक्टर की दशा में पास बाई ध्वनि परीक्षण और प्रचालक के कान के स्तर पर ध्वनि स्तर परीक्षण समय-समय पर यथा संशोधित भा.मा. : 12180 के अनुसार किए जाएंगे और नीचे की सारणी में यथा उपदर्शित स्तरों के अनुरुप होंगे :

सारणी

क्र.सं.	कार्यान्वयन की तारीख	खड़े रहने वाले व्यक्ति की स्थिति द्वारा	प्रचालक के कान का स्तर
(1)	अधिसूचना की तारीख से छह मास	90 डीबी(क)	100 डीबी(क)
(2)	अधिसूचना की तारीख से ढ़ाई वर्ष	88डीबी(क)	98 डीबी(क) ।"।

25. उक्त नियमों के नियम 121 के उपनियम (1) में "सन्निर्माण उपस्कर यान" शब्दों के स्थान पर "कृषि ट्रेक्टर और सन्निर्माण उपस्कर यान" शब्द रखे जाएंगे ।

26. उक्त नियमों के नियम 122 के उपनियम (1) में "ट्रेलरों और अर्द्ध ट्रेलरों से भिन्न प्रत्येक मोटर यान" शब्दों के स्थान पर "ट्रेलरों और अर्द्ध ट्रेलरों से भिन्न प्रत्येक मोटर यान जिसके अंतर्गत कृषि ट्रेक्टर और सन्निर्माण उपस्कर यान भी है" शब्द रखे जाएंगे ।

27. उक्त नियमों के नियम 124 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"124क. कृषि ट्रेक्टरों के लिए संधटकों के सुरक्षा मानक--(1) कृषि ट्रेक्टरों में प्रयुक्त लैम्पों के बल्ब समय समय पर यथा संशोधित भा.मा.1606-1997 के अनुरूप होंगे ।

(क) हैड प्रकाश प्रमुख और डिप ;

(ख) पार्किंग प्रकाश;

(ग) दिशा सूचक लैम्प;

IndiaCode

(घ) पुच्छ लैम्प;

(ङ) रिवर्सिंग लैम्प;

(च) स्टोप लैम्प;

(छ) रियर रजिस्ट्रेशन चिन्ह् उपदर्शित करने वाला लैम्प; और

(ज) टॉप प्रकाश ।

(2) कृषि ट्रेक्टर के लिए प्रकाश और प्रकाश संकेत युक्तियां, ऐसे समय तक जब तक कि तत्स्थानी बीआईएस मानक अधिसूचित नहीं किए जाते, समय-समय पर यथा संशोधित एआइएस : 030 के अनुसार होंगी :

परंतु यह कि 1 अप्रैल,2005 से ही विनिर्मित कृषि ट्रेक्टर के प्रकाश, प्रकाश संकेत और सूचन प्रणालियों की संपादन अपेक्षाएं ऐसे समय तक जब तक कि तत्स्थानी बीआईएस मानक अधिसूचित नहीं कर दिए जाते हैं, समय-समय पर यथा संशोधित सुरक्षा मानक एआईएस: 062 के अनुसार होंगी ।

(3) द्रव चालित ब्रेक होज कृषि ट्रेक्टर और उसके ट्रेलरों में जहां कहीं भी उपयोग किए जाते हैं समय-समय पर यथा संशोधित भा.मा.: 7079-1995 के अनुसार होंगे ।

(4) वनस्पति, गैर खनिज आधारित द्रव चालित तरल कृषि ट्रेक्टर में जहां कहीं भी उपयोग किए जाते हैं समय-समय पर यथा संशोधित भा.मा.: 8654-1986 के अनुसार होंगे ।

(5) टॉ हुक कृषि ट्रेक्टर में जहां कहीं भी उपयोग किया जाता है, समय-समय पर यथा संशोधित भा.मा.: 12056-1987 के अनुसार होगा ।

(6) कृषि ट्रेक्टर के ईंधन टैंक समय-समय पर यथा संशोधित भा.मा.: 12056-1987 में अधिकथित अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे:

परंतु यह कि ऐसा कृषि ट्रेक्टर जिसमें गुरुत्व भरण ईंधन प्रवाह प्रणाली है, के लिए भा.मा.: 12056-1987 के खंड 3.2.1 से छूट प्राप्त होगी ।

IndiaCode

(7) कृषि ट्रेक्टर में प्रयुक्त व्हील नट और हब कैप समय-समय पर यथा संशोधित भा.मा.: 13941-1994 के अनुसार होंगे ।"।

28. उक्त नियमों के नियम 126 में,—

(क) "विनिर्माता" शब्द के स्थान पर "विनिर्माता या आयातक" शब्द और "उसके द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले" शब्दों के स्थान पर "उसके द्वारा विनिर्मित या आयात किए जाने वाले" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि पूर्ण रूप से निर्मित यूनिट (सीबीयू) के रूप में भारत में आयातित यानों की बाबत आयातक अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों की अनुपालना के बारे में परीक्षण अभिकरण द्वारा एक प्रमाण पत्र मंजूर किए जाने के लिए उस अभिकरण को उस विशिष्ट मॉडल और टाइप का एक यान भेजेगा ।"

29. उक्त नियमों के प्ररूप 1क के टिप्पण में राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

उक्त नियमों के प्ररूप 1क में उसके टिप्पण को "1." के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित टिप्पण सं. 1 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2. ऐसे मूक बधिर व्यक्तियों को, जो बधिर नहीं हैं, गैर-परिवहन यान के लिए चालन अनुज्ञप्ति का वैध प्रमाण पत्र मंजूर किया जा सकेगा ।" ।

30. उक्त नियमों के प्ररूप 22 में 1 अक्तूबर, 2004 से ही "[नियम 47(छ),115(6), 115क, 124, 126क और 127]" शब्दों और अंकों के स्थान पर "[नियम 47(छ),115(2), 115(6), 115(7), 115क, 124, 126क और 127]" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

31. उक्त नियमों के प्ररूप 22क में 1 अक्तूबर, 2004 से ही "[नियम 47(छ), 124, 126क और 127]" शब्दों और अंकों के स्थान पर "[नियम 47(छ),115(2), 115(6), 115(7), 115क, 124, 126क और 127]" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

32. उक्त नियमों के उपाबंध 8 की सारणी में ,--

(क)"प्रमाणकर्ता/सत्यापनकर्ता प्राधिकारी" स्तंभ शीर्षक के स्थान पर "अनुमोदनकर्ता/ प्रमाणकर्ता/ सत्यापनकर्ता प्राधिकारी" स्तंभ शीर्षक रखा जाएगा ;

(ख) मद सं. 1 और 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात्:-

एलपीजी किट संघटक	अनुमोदनकर्ता/प्रमाणकर्ता/सत्यापनकर्ता प्राधिकारी,	एआईएस 026/027 का खंड/अन्य नियम, मान, आदि
"1. क) चार पहिए और उससे अधिक पहिए यानों के लिए सिलेंडर	विदेशी मेक की दशा में विस्फोटक विभाग, नागपुर अनुमोदित/पृष्ठांकित करेगा	ईसीई-आर-67-01या भा.मा. : 14899-2000 या गैस सिलेंडर नियम, 1981 के अधीन यथा अनुमोदित
ख) दुपहिया और तिपहिया यानों के लिए सिलेंडर	विदेशी मेक की दशा में विस्फोटक विभाग, नागपुर अनुमोदित/पृष्ठांकित करेगा	ईसीई-आर-67-01या भा.मा. : 14899-2000 या गैस सिलेंडर नियम, 1981 के अधीन यथा अनुमोदित
2. सिलेंडर वाल्व/बहुकृत्य वाल्व	विदेशी मेक की दशा में विस्फोटक विभाग, नागपुर अनुमोदित/पृष्ठांकित करेगा	ईसीई-आर-67-01या भा.मा. : 15100-2001 या गैस सिलेंडर नियम, 1981 के अधीन यथा अनुमोदित "।

[फा. सं. आरटी-11028/11/2002-एमवीएल]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और सा.का.नि. 927(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2003 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2004

G.S.R. 111(E).— Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 30th July, 2003 in the notification of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 614 (E), dated the 30th July, 2003, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette of India were made available to the public on the 1st August, 2003;

And whereas objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 27, 41, 50 and 110 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2004.

(2) Save as otherwise provided in these rules they shall come into force after six months from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referrred as the said rules), in rule 2, for clause (d), the following clause shall be substituted from the date of final publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

'(d) "financier" means a person or a title holder cum dealer who lets a motor vehicle on hire under an agreement of hire purchase or lease or hypothecation to the operator with a permission to get it registered in operator's name as registered owner;

3 In rule 50 of the said rules, in sub-rule (5), for the words and figures "vertical by more than 30 degrees" , the words and figures "vertical plane by more than 45 degrees" shall be substituted.'

4. In rule 57 of the said rules, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted from the date of final publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

"Provided that motor vehicle in the name of the Central Govemment or State

Government shall not be transferred by the concerned registering authority without verifying the proceeding of the auction or disposal of the concerned vehicle.".

5. In rule 93 of the said rules, after sub-rule (7), first proviso shall be omitted.

6. After rule 93 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"93A . Overall dimension for agricultural tractors.-

(1) The overall width of the agricultrural tractor shall not exceed 2.6 metres
(2) The overall length of the agricultrural tractor shall not exceed 6.5 metres.
(3) The overall height of the agricultrural tractor shall not exceed 3.8 metres.
(4) The overhang of the agricultural tractor shall not exceed 1.85 metres.

Provided that lateral projection upto 700 millimetres beyond the central line of the rear wheel shall be permitted.".

7. In rule 94 of the said rules.-

(a) in sub-rule (1), for the words "Every motor vehicle", the words " Every motor vehicle including agricultural tractor and its trailer" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the words "a motor vehicle", the words "a motor vehicle including agricultural tractor and its trailer" shall be substituted;

(c) in sub-rule (3), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the requirements of the Non-Skid depth (NSD) and Tread Wear Indicator (TWI) specified in clause (iv) shall not be applicable for the agricultural tractor tyres.".

8. After rule 95 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"95A. Size and ply rating of tyres for agricultural tractor.- (1) The tyre of the agricultural tractor shall have load carrying capacity as may be specified by the tyre manufacturer, subject to the condition that the maximum load specified by the agricultural tractor manufacturer shall not be greater than the load permitted by the tyre manufacturer.

(2) The agricultural tractor manufacturer shall select only that rim size as recommended by the tyre manufacturer.

Note: For compliance to the above two sub-rules, the following shall be referred to IS: 13154-1991 as amended from time to time - Tyres for agricultural tractor, implements and power tillers. In case a particular size of tyres is not listed in IS:13154-1991, any equivalent International Standard like Economic

Commission of Europe (ECE), Japanese Automotive Tyre Manufacturers Association (JATMA), European Tyre & Rim Technical Organisation (ETRTO), The Tyre & Rim Association Inc. (T & RA) and Indian Tyre Technical Advisory Committee(ITTAC), etc., shall be accepted.".

9. In rule 96 of the said rules, in sub-rule (4), clause (iv) shall be omitted.

10. After rule 96B of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"96C. Brakes for agricultural tractor.- The braking system of the agricultural tractor shall conform to IS: 12061-1994 and IS:12207-1999, as amended from time to time.".

11. In rule 98 of the said rules,-

(a) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The steering gear of every motor vehicle shall be so constructed as to conform to IS:12222-1987, as amended from time to time.";

(b) in sub-rule (3), for the words "invalid carriages and agricultural tractors", the words "and invalid carriages" shall be substituted.

(c) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(5) The power steering shall be fitted in.-
(a) the Category N3 multi-axle vehicles on and from 1st May, 2004; and
(b) other than multi-axle vehicles of Category N3 on and from 1st December, 2004.".

12. After rule 98A of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"98B. Steering Gears for agricultural tractors.- (1) The steering gear of agricultural tractor shall be maintained in good and sound condition, free from back-lash exceeding 30 degrees on the steering wheels. All ball joints connecting the steering linkage shall be protected by rubber caps and where the connections are secured with bolts, or pins, the bolts or pins shall be effectively locked.

(2) The turning circle diameter and turning circle clearance diameter of every agricultural tractor shall conform to IS:11859-1986, *as amended from time to time.*

(3) The steering effort requirement of agricultural tractor shall conform to Automotive Industry Standard(AIS):042 as amended from time to time, till such time the corresponding BIS standard is notified."

461 GI/04-5

13. In rule 99 of the said rules, for the words "construction equipment vehicle", the words "construction equipment vehicle and agricultural tractor" shall be substituted.

14. After rule 104A of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"104B. Fitment of reflectors for agricultural tractors.-

(1) Every agricultural tractor shall be fitted with two non-triangular red reflectors of not less than 28.5 sq.cm reflecting area one each on both sides at the rear.

(2) The reflectors referred in sub-rule(1) of this rule shall be of the reflex type conforming to Indian Standard IS:8339-1993, amended from time to time.".

15. In rule 105 of the said rules,-

(a) in sub-rule (3), second provision shall be omitted.

(b) In sub-rule (4), proviso shall be omitted.

16. In rule 106 of the said rules, in sub-rule (1), the proviso to clause (a) shall be omitted.

17. In rule 109 of the said rules, second proviso shall be omitted.

18. In rule 112 of the said rules, in the fourth proviso, for the words "Provided further that in the case of tractors, vertical", the words "Provided further that in the case of agricultural tractors, vertical or horizontal" shall be substituted.

19. In rule 115 of the said rules,-

(a) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted; namely:-

"(2) On and after 1st October, 2004, every motor vehicle operating on

(i) Petrol/CNG/LPG shall comply with the idling emission standards for Carbon Monoxide (CO) and Hydro Carbon (HC) given in the Table below:-

Table: Petrol/CNG/LPG driven vehicles

Sr. No.	Vehicle Type	CO %	* HC (n – hexane equivalent) ppm
1.	2&3-- Wheelers (2/4-stroke) (Vehicles manufactured on and before 31st March 2000)	4.5	9000
2.	2&3-- Wheelers (2-stroke) (Vehicles manufactured after 31st March 2000)	3.5	6000
3.	2&3 – Wheelers (4-stroke) (Vehicles manufactured after 31st March 2000)	3.5	4500

4.	Bharat Stage-II compliant 4 wheelers	0.5	750
5.	4-Wheelers other than Bharat Stage II compliant	3.0	1500

Note: The test shall be carried out using the instrument type approved as per rule 116 (3) of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (CMVR) with the vehicle engine warmed up after a run of minimum 15 minutes on a variable course under normal traffic condition. During the test the vehicle engine shall be running at idling speed and the sampling probe shall be inserted into the vehicle exhaust system to a depth not less than 300mm. In case CO and/or HC emission values recorded during the test are not within the limits, the testing shall be discontinued and the vehicle owner shall be advised to resubmit the vehicle after repair/service.

* The idling emission standards for vehicles when operating on Compressed Natural Gas (CNG), shall contain Non-Methane Hydro Carbon (NMHC) in place of Hydrocarbon (HC) and shall be estimated by the following formula:
NMHC = 0.3 x HC
Where HC = Total hydrocarbon measured as n-hexane equivalent

Similarly idling emission standards for vehicles when operating on Liquified Petroleum Gas (LPG) shall contain Reactive Hydro Carbon (RHC) in place of Hydrocarbon (HC) and shall be estimated by the following formula:
RHC = 0.5 x HC
Where HC = Total Hydrocarbon measured as n-hexane equivalent

Provided that in case of Petrol vehicles fitted with three way closed loop catalytic converters operating in a specific city or area, the Government of the respective State or Union Territory Administration, as the case may be, may, by notification in the Official Gazette, specify the introduction of measurement of LAMBDA (dimensionless value representing burning efficiency of an engine in terms of the air/fuel ratio in the exhaust gases) and tighter emission norms for in-use vehicles with such periodicity as may be warranted, after ensuring that gas analyzers capable of measuring the values, duly approved by the testing agencies, are available in such city or area, as the case may be:

Provided further that testing procedures are prescribed in TAP documents No. 115 and 116 as amended from time to time.

Provided also that the compliance to the limits prescribed in the above proviso shall be included in the certificate issued by the vehicle manufacturer in Form22 or Form 22A, as applicable for the vehicle manufactured on or after 1st October, 2004.".

(ii) Smoke density for all Diesel driven- vehicles shall be as follows:-

Table: Diesel vehicles.

Method of Test	Maximum Smoke Density	
	Light absorption coefficient (1/m)	Hartidge units
Free acceleration test for turbo charged engine and naturally aspirated engine.	2.45	65

The free acceleration test shall be carried out using the instrument type approved as per CMVR 116 (3) with the vehicle engine warmed up to attain oil temperature of minimum 60° C. During each free acceleration, maximum no load speed reached shall be within bandwidth of +500 rpm of the average value in respect of 3-wheeler vehicles and +300 rpm of the average value for all other categories of vehicles. The free acceleration test shall be repeated till the peak smoke density values recorded in four successive accelerations meeting above maximum no load rpm criteria are situated within a bandwidth of 25% of the arithmetic mean (in m-1 unit) of these values or within a bandwidth 0.25 K, whichever is higher and do not form a decreasing sequence. The smoke density to be recorded shall be arithmetic mean of these four readings. In case the valid readings are not obtained within 10 free accelerations or the smoke density recorded is not within the limits, the testing shall be discontinued and the vehicle owner shall be advised to resubmit the vehicle after repair/service.".

(b) in sub-rule (7), for the words "six months or any lesser period as may be specified by the State Government from time to time", the words "six months" shall be substituted.

20. In rule 115B of the said rules,-

(a) for the portion begining with the words, "Mass emission standards for vehicles" and ending with the words and figures, "Fuel shall not be less than 70%", the following words, letters and figures shall be substituted, namely:-

"Mass emission standards for vehicles when operating on Compressed Natural Gas (hereinafter in this rule referred to as "CNG") shall be the same as are applicable for gasoline vehicles with the exception that HC shall be replaced by Non-Methane Hydrocarbon *(NMHC)*, where NMHC = 0.3 x HC."

(b) In item A, Clause (III) shall be omitted.

(c) In item B, Clause (III) shall be omitted.

(d) In item F, under Note, entry at Sl. No. 7, the following entry shall be substituted, namely:-.

"In case of conversion kits on in-use Gasoline Vehicles or converted diesel vehicles the validity of the certificates issued by the testing agencies shall apply to all such vehicles manufactured in the year of manufacture of the vehicle on which such kit has been tested and would extend till the validity of India-2000

(India Stage-I) or Bharat Stage-II norms respectively as may be applicable. Testing agencies will be required to indicate specifically, the models and their variants on which the certificate will be valid."

Provided that the above provisions shall come into force after one month from the date of publication of the Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2004 in the Official Gazette.

21. In rule 115C of this said rules, in sub-rule (1), for the portion begining with the words and figures, "(1) Mass emission standards for vehicles" and ending with the words, "Total Hydrocarbon measured", the following words, letters and figures shall be substituted, namely:-

"(1) Mass emission standards for vehicles when operating on Liquefied Petroleum Gas (hereinafter in this rule referred to as "LPG") shall be same as are applicable for gasoline vehicles with the exception that HC shall be replaced by Reactive Hydrocarbon (RHC), where RHC=0.5 x HC."

22. In rule 116 of the said rules, in sub-rules (2), (3), (4), (5), (6) and (8), for the words "sub-rule (2) of rule 115," the words "sub-rule (2) and sub-rule (7) of rule 115" shall be substituted.

23. In rule 119 of the said rules, -

(a) in sub-rule (1), for the words "including construction equipment vehicle", the words "including construction equipment vehicle and agricultural tractor" shall be substituted;

(b) under sub-rule (1), in proviso, for the letters and figures "AIS-014/2001", the letters and figures "AIS-014" shall be substituted.

(c) in sub-rule (2), for the words "motor vehicle", the words "motor vehicle including agricultural tractor" shall be substituted.

24. In rule 120 of the said rules.-

(a) in sub-rule (1), for the words "Every motor vehicle" , the words "Every motor vehicle including agricultural tractor" shall be substituted.

(b) For sub-rule (2) including the Table, the following shall be substituted namely:-

"(2) **Noise standards**.- Every motor vehicle shall be constructed and maintained so as to conform to noise standards specified in Part E of the Schedule VI to the Environment (Protection) Rules, 1986, when tested as per IS:3028-1998, as amended from time to time.".

(c) After sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) In the case of agricultural tractor, the passby noise test and the noise level test at the operator's ear level shall be carried out as per IS:12180-2000,

461 GI/04-6

as amended from time to time and shall conform to the levels as indicated in the Table below:-

TABLE

Sl. No.	Date of Implementation	Bystander's Position	Operator's Ear level
(1)	Six months from the date of notification	90 dB (A)	100 dB (A)
(2)	Two and a half years from the date of notification	88 dB (A)	98 dB (A)".

25. In rule 121 of the said rules, in sub-rule (1), for the words "construction equipment vehicle", the words "agricultral tractor and construction equipment vehicle" shall be substituted.

26. In rule 122 of the said rules, in sub-rule (1), for the words "every motor vehicle other than trailers and semi-trailers", the words "every motor vehicle including agricultral tractor and construction equipment vehicle other than trailer and semi-trailer" shall be substituted.

27. After rule 124 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"124A. Safety standards of components for agricultural tractors.- (1) The bulbs of the lamps used on agricultural tractors shall conform to IS:1606-1979, as amended from time to time.

(a) Head light main and dip;
(b) Parking light;
(c) Direction indicator lamp;
(d) Tail lamp;
(e) Reversing lamp;
(f) Stop lamp;
(g) Rear Registration mark indicating lamp; and
(h) Top light.

(2) The lighting and light signalling devices for agricultural tractor shall be in accordance with AIS:030, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS standard is notified:

Provided that the performance requirements of the lighting, light signalling and indicating systems of agricultural tractor manfactured on and from 1st April, 2005 shall be in accordance with safety standard AIS: 062, as amended from time to time, till such time corresponding BIS standards are notified.

(3) The hydraulic brake hoses wherever used in agricultural tractor and its trailer shall be in accordance with IS:7079-1995, as amended from time to time.

(4) The vegetable, non-mineral based hydraulic fluids, wherever used in agricultural tractor shall be in accordance with IS: 8654-1986, as amended from time to time.

(5) The tow hook wherever used in agricultural tractor shall be in accordance with IS:12056-1987, as amended from time to time.

(6) The fuel tanks of agricultural tractor shall comply with the requirements laid down in IS: 12056-1987, as amended from time to time:

Provided that the clause 3.2.1 of IS 12056-1987 be exempted for agricultural tractor that have a gravity feed fuel flow system.

(7) The wheel nuts and hub caps used in agricultural tractor shall be in accordance with IS: 13941-1994, as amended from time to time.".

28. In rule 126 of the said rule,-

(a) for the words "manufacturer", the words "manufacturer or importer" and for the words "to be manufactured by him", the words "to be manufactured or imported by him" shall be substituted.

(b) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that in respect to the vehicles imported into India as completely built units (CBU), the importer shall submit a vehicle of that particular model and type to the testing agencies for granting a certificate by that agency as to the compliance to the provisions of the Act and these rules.".

29 In Form 1A of the said rules, in Note, the following shall be inserted from the date of final publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

In Form 1A of this said rules, the Note shall be numbered as "1". thereof, and after Note No. 1 as so numbered, the following Note shall be inserted namely:-

"2. Dumb persons without deafness may be granted a valid certificate of driving licence for non-transport vehicle.".

30. In Form 22 of the said rules, on and from 1st October, 2004, for the words and figures "[Rules 47 (g), 115(6), 115A, 124, 126A and127]" the words and figures "[Rules 47 (g), 115(2) 115(6), 115(7), 115A, 124, 126A and 127]", shall be substituted.

31. In Form 22A of the said rules, on and from 1st October, 2004, for the words and figures "[Rules 47 (g), 124, 126A and 127]" the words and figures "[Rules 47 (g), 115(2) 115(6), 115(7), 115A, 124, 126A and 127]" , shall be substituted.

32. In Annexure VIII of the said rules, in the Table. -

(a) for the column heading "Certifying/Verifying Authority", the column heading "Aproving/Certifying/Verifying Authority" shall be substituted;

(b) For items No. 1 and 2 and the entries relating thereto, the following items and entries, respectively shall be substituted, namely:-

LPG Kit Component	Approving/Certifying/Verifying Authority	Clause of AIS 026/027/other Rules, Standards, etc.
"1. a) Cylinder for four wheelers and above	Department of Explosives, Nagpur to approve/endorse in case of foreign make	ECE-R-67-01 *or* IS:14899-2000 *or* as approved under Gas Cylinder Rules, 1981
b) Cylinder for two wheelers and three wheelers	Department of Explosives, Nagpur to approve/endorse in case of foreign make	ECE-R-67-01 *or* IS:14899-2000 *or* as approved under Gas Cylinder Rules, 1981
2. Cylinder Valves / Multi Function Valve	Department of Explosives, Nagpur to approve/endorse in case of foreign make	ECE-R-67-01 or IS:15100-2001 or as approved under Gas Cylinder Rules, 1981".

[F.No. RT-11028/11/2002-MVL]

ALOK RAWAT, Jt. secy.

Note : The principal rules were notified *vide* G.S.R. 590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* G.S.R. 927(E), dated the 5th December, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.